भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 422
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि में पूंजीगत निवेश

***422. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि में सिंचाई, उर्वरक और अन्य आदानों के लिए धनराशि के आवंटन सहित पूंजीगत निवेश का वर्तमान स्तर क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कृषि में प्रोत्साहनों और राजसहायता के प्रावधान सहित निजी पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और किसान कल्याण योजना सहित कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान वित्त वर्ष में कृषि निवेश के लिए धनराशि का आवंटन कितना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"कृषि में पूंजीगत निवेश" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ श्री परषोत्तमभाई रुपाला द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 422 के भाग (क) से (घ) का उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): कृषि में पूंजीगत निवेश से उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए कृषि क्षेत्र में वास्तविक और मानव पूंजी को बढ़ाना शामिल है। कृषि में निवेश का उद्देश्य सिंचाई प्रणालियों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, उन्नत मशीनरी का उपयोग, उच्च उपज वाले बीज, कीटनाशकों सहित खरपतवारनाशक, नेमाटोसाइड्स और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण और मूल्य वर्धन के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास करना है।

भारत सरकार कृषि उपज का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से कई सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और पहलों को कार्यान्वित करती है जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन, कृषि मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम, ई-नाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएमकेएसवाई (पीएम किसान सिंचाई योजना), प्रति बूंद अधिक फसल, पीएम-एफएमई, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नए 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम), कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण, श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय, राष्ट्रीय बांस मिशन, संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकिसान)। योजनाओं और बजट आवंटन का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट आवंटन मात्र 21933.50 करोड़ था। यह 2024-25 में 5.98 गुना से अधिक बढ़कर 131195.21 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, भारत सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो 2013-14 में 263.5 एमएमटी से बढ़कर 2024-25 में 331 एमएमटी हो गया है।

जहां तक उर्वरक सब्सिडी के लिए निधि आवंटन का प्रश्न है, उर्वरक विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,77,129.50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

सिंचाई के संबंध में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अंब्रेला योजना है, जिसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनका क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी के अंतर्गत चार उप-घटक शामिल हैं: (i) कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर); और (iv) भूजल विकास (जीडब्ल्यू)।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, पीएमकेएसवाई के एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम घटक को देखता है। अप्रैल, 2016 से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत केंद्रीय

सहायता के रूप में 18,075 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के लिए 3128.79 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई है। इसके अलावा, अप्रैल 2016 से पीएमकेएसवाई-एसएमआई एंड आरआरआर के अंतर्गत 5708.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और योजना के जीडब्ल्यू घटक में 978 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी घटक के लिए क्रमशः 2,040 करोड़ रुपये और सीएडी एंड डब्ल्यूएम घटक के लिए 100 करोड़ रुपये है।

सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) बनाया गया है। वित्तपोषण व्यवस्था के तहत, नाबार्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाजार से नाबार्ड द्वारा जुटाए गए निधि के अनुरूप लागत की तुलना में 3% कम ब्याज दर पर ऋण देता है। एमआईएफ के तहत ऋण पर ब्याज सहायता का वहन केंद्र सरकार द्वारा पीडीएमसी के तहत किया जाता है। एमआईएफ के तहत अब तक 4710.96 करोड़ रुपये के ऋण वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को 3639.48 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए गए हैं। मंत्रालय राज्यों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करता है, जिसकी पूर्ति पीडीएमसी योजना से की जाती है। बजट 2021-22 के अनुसार, निधि का कोष दोगुना करके 10000 करोड़ रुपये किया जाना है।

देश के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 3% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता के साथ ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई और एनएबीसंरक्षण के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये निधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संवितरित की जाएगी, और योजना के तहत सहायता वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

28 फरवरी 2025 तक एआईएफ के तहत 98,744 परियोजनाओं के लिए 59,943 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में 96,680 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 25,671 कस्टम हायरिंग सेंटर, 20216 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 15125 गोदाम, 3534 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 2,265 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, लगभग 31,933 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं और व्यवहार्य कृषि संपत्तियां शामिल हैं।

8 राज्यों में फैले 500 लाभार्थियों से डेटा एकत्रित करके पारंपरिक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करके एक प्रभाव आकलन अध्ययन भी किया गया था। (उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, मध्य, पूर्वोत्तर और 2 कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से प्रत्येक में 1) अध्ययन के अंतर्गत शामिल राज्य थे: पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। एआईएफ परियोजनाओं के

माध्यम से लगभग 556 एलएमटी भंडारण क्षमता जोड़ी गई है और कृषि क्षेत्र में 12 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पीएम किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) से किसानों को लाभ पहुंचाने और देश में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने के लिए निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पीएमकेएसवाई की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत 28 फरवरी, 2025 तक विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण (खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं सहित) की स्थापना के लिए 1608 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें से 1103 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 4.24 लाख लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है और 33.37 लाख किसानों को लाभ मिला है तथा 28.02.2025 तक 195.98 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता और 48.96 एलएमटी/वर्ष की संरक्षण क्षमता प्राप्त हुई है। पीएमकेएसवाई की परियोजनाओं का मूल्य 31,080.48 करोड़ रुपये है, जिससे 22,159.31 करोड़ रुपये का निजी निवेश प्राप्त हुआ है। पीएमएफएमई ने 28 फरवरी, 2025 तक 3.27 लाख से अधिक एसएचजी और 1,27,758 व्यक्तियों को ऋण लिंकेज के साथ सहायता प्रदान की है।

एमओएनआरई की पीएम-कुसुम योजना मार्च, 2019 में सरकार द्वारा किसानों के लिए स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाने और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन और उनकी बंजर/परती/कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तीन घटक हैं:
(i) घटक 'क': किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना;

(ii) घटक 'ख': 14 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना; और

(iii) घटक 'ग': 35 लाख मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन और फीडर के माध्यम से सोलराइजेशन (एफएलएस)।

पीएम कुसुम योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। यह मांग आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमता आवंटित की जाती है। लाभार्थी चयन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) की है। पीएम कुसुम योजना के सभी घटक एआईएफ के अंतर्गत आते हैं। वित्त वर्ष 24-25 के दौरान पीएम कुसुम योजना का संशोधित अनुमान 3,025 करोड़ रुपये है।

अनुबंध

1. किसानों के कल्याण के लिए डीए एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण

भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला को कार्यान्वित कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची इस प्रकार है:

I. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
9. स्टार्ट अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
10. नमो ड्रोन दीदी

II. केन्द्र प्रायोजित योजना

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

(ख) कृषोन्नति योजना

1. एकीकृत कृषि मार्केटिंग योजना - राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम- ईएनएएम)
2. एकीकृत कृषि मार्केटिंग योजना-अन्य (आईएसएएम-अन्य)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
4. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन -तिलहन (एनएमईओ-ओएस)
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी)
6. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
8. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
9. डिजिटल कृषि

(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)

2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता
5. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि वानिकी
7. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
8. फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम)
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

2. 2024-25 के दौरान योजनाओं के लिए निधि आवंटन का विवरण:

क्र.सं.	**योजना का नाम/विवरण**	**बअ- 2024-25**	**सअ-2024-25**
	कुल (अनुदान संख्या 01)	**122528.77**	**131195.21**
क	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं**		
1	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना	14600.00	15864.00
	कृषि अवसंरचना निधि एवं विकास के लिए अतिरिक्त अंतरण (पीएमएफबीवाई)		2000.00
2	संशोधित ब्याज छूट	22600.00	22600.00
	कृषि अवसंरचना कोष एवं विकास के लिए अतिरिक्त स्थानान्तरण (एमआईएसएस)		2000.00
3	बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएसएस-पीएसएस)		75.13
4	प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	6437.50	6437.50
5	कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों का वितरण	300.00	300.00
6	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	60000.00	63500.00
	कृषि अवसंरचना निधि एवं विकास के लिए अतिरिक्त अंतरण (पीएम-किसान)		2000.00
7	प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना	100.00	100.00
8	किसान उत्पादक संगठन का गठन एवं संवर्धन	581.67	584.19
9	कृषि अवसंरचना निधि	600.00	750.00
10	नमो ड्रोन दीदी	500.00	250.00
11	कृषि और कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए ग्रामीण प्रासंगिक उद्यम के लिए स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए मिश्रित पूंजीगत सहायता	62.50	62.50

12	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	75.00	75.00
13	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	0.00
14	दालों के लिए मिशन	0.00	0.00
15	सब्जियों और फलों के लिए मिशन	0.00	0.00
16	राष्ट्रीय संकर बीज मिशन	0.00	0.00
17	मखाना बोर्ड के लिए समर्थन	0.00	0.00
	अतिरिक्त राशि आरक्षित निधि से पूरी की जाएगी	**0.00**	**0.00**
	कुल- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**105856.67**	**116598.32**
ख	**केंद्र प्रायोजित योजनाएं**		
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	7553.00	6000.00
2	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	365.64	100.00
3	कृषोन्नति योजना	7447.00	7106.36
	कुल-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	**15365.64**	**13206.36**
	कुल-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं+केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	**121222.31**	**129804.68**
ग	**केंद्र की स्थापना और अन्य केंद्रीय व्यय**	1306.46	1390.53
	कुल (अनुदान संख्या 01)	**122528.77**	**131195.21**

****